

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
O/o Member (Planning)

Ref: AAI/Member (Plg.)/ Tech.-Inst./2023/P-187/136 Date: 23rd October, 2023

Technical Instruction No. 137

Subject: - Systemic improvement measures as suggested by Vigilance Dept.

1. Systemic improvement measures have been suggested by the Vigilance Department during CTE/CTE type inspections and on examination of complaints. Hence, the following instructions shall be complied in future:
 - i) The drawings and scope of work of major projects involving multiple directorates should be finalized based on ground assessment meeting with all stake holders viz. CNS, Operation, Planning, Engineering, ATM, APD, Airlines etc. Further the drawing and scope of work should include existing features, proposed changes and associate work to be carried out for successful implementation of project.
 - ii) The technical specification of a item(s) of the projects once approved should not be revised during implementation of the project without specified and proper reason.
 - iii) Annual Performance Report of all working Contractors/ Consultants in AAI of all works shall be submitted invariably by the Engineer-in-charge within 01 (one) month of closing Financial year to concerned ED (Engg.)/ Regional Executive Director as per Section-48 of AAI Engg. Works Manual. The Contractors/ Consultants whose performance found unsatisfactory/ poor, action shall be taken against them as per laid down procedure.
 - iv) Bid Manger should duly mention the Financial Year for which the balance sheet, profit & loss account, average annual financial turnover & net worth of the bidder are required to be submitted.
 - v) Bid Manager shall update the status of Financial bid on CPP portal within 03 (three) working days after opening of the Financial bid.
 - vi) Engineer-in-charge shall ensure the submission of documentary proof for qualification of technical staff before their deployment by the contractor.
 - vii) In case of a JV, the Bank guarantee towards EMD/ Performance guarantee shall be accepted either in the name of consortium firm or all individual partners in proportion to their JV share in the project.
 - viii) Engineer-in-charge shall ensure that all pages of the contract agreements should be signed by authorised signatory of the contractor and AAI. The contract agreement shall also be signed by witnesses at designated page of the agreement.


23/10

- ix) Bid Manager shall also check the comparative statement generated from CPP portal for its arithmetical correctness and the same to be verified by finance Dte.
- x) The Experience certificates submitted by the agency which were issued by multiple authorities for different locations under a single contract can be considered for the technical qualification criteria, if pre-determined stage wise/ location wise completion period and Cost mentioned in the agreement/ work order. The same shall be clearly mentioned in the NIT.
2. The above instructions may be brought to the notice of all the concerned for strict compliance. This Technical Instruction will be effective from the date of issue.
3. All Technical Instructions/ Circulars issued are available on AAI website under following path:

www.aai.aero/en => Emp. Login => Circular & Orders => Dept. (Engineering)
=> Circular Types (Technical Instructions) => Search


(Dr. Sharad Kumar) 23.X.2023.
Member (Ops- Plg.)

Distribution: As per attached list

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सदस्य (योजना) का कार्यालय

संदर्भ: भाविप्रा/सदस्य (योजना)/तक.अनु/2023/पी-187/136 दिनांक: 23 अक्टूबर, 2023

तकनीकी अनुदेश संख्या. 137

विषय:- सतर्कता विभाग द्वारा सुझाए गए प्रणालीगत सुधार के उपाय।

1. सीटीई/सीटीई प्रकार के निरीक्षणों और शिकायतों की जांच के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा प्रणालीगत सुधार के उपाय सुझाए गए हैं। अतः भविष्य में निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा:
 - I. सीएनएस, प्रचालन, योजना, इंजीनियरिंग, एटीएम, एपीडी, एयरलाइंस आदि जैसे सभी हितधारकों के साथ जमीनी मूल्यांकन बैठक के आधार पर कई निदेशालयों को शामिल करने वाली प्रमुख परियोजनाओं की ड्राइंग और कार्य के दायरे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ड्राइंग और कार्य के दायरे में मौजूदा विशेषताएं, प्रस्तावित परिवर्तन और परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले संबद्ध कार्य शामिल होने चाहिए।
 - II. परियोजना के किसी मद के तकनीकी विनिर्देश को एक बार अनुमोदित होने के बाद परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई विनिर्दिष्ट और उचित कारण बताए बिना संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।
 - III. भाविप्रा में कार्यरत सभी ठेकेदारों/सलाहकारों के सभी कार्यों की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के समापन के 01 (एक) महीने के भीतर भाविप्रा इंजीनियरिंग नियमावली के धारा-48 के अनुसार प्रभारी अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरिंग)/ क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। जिन ठेकेदारों/सलाहकारों का निष्पादन असंतोषजनक/खराब पाया जाएगा, उनके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
 - IV. बोली प्रबंधक को वित्तीय वर्ष का विधिवत उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता, औसत वार्षिक वित्तीय टर्न-ओवर और बोलीदाता की निवल संपत्ति जमा करना आवश्यक है।
 - V. बोली प्रबंधक वित्तीय बोली खुलने के 03 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर सीपीपी पोर्टल पर वित्तीय बोली की स्थिति को अपडेट करेगा।
 - VI. प्रभारी अभियंता ठेकेदार द्वारा तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती से पहले उनकी योग्यता के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
 - VII. जेवी के मामले में, ईएमडी/ निष्पादन गारंटी के लिए बैंक गारंटी या तो कंसोर्टियम फर्म या सभी निजी भागीदारों के नाम पर परियोजना में उनके जेवी शेयर के अनुपात में स्वीकार की जाएगी।


23/10

- VIII. प्रभारी अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि संविदा के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार और भाविप्रा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। अनुबंध समझौते के निर्दिष्ट पृष्ठ पर गवाहों द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- IX. बोली प्रबंधक सीपीपी पोर्टल से जनरेटिड तुलनात्मक विवरण की अंकगणितीय शुद्धता के लिए भी जांच करेगा और इसे वित्त निदेशालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- X. एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र जो एक ही संविदा के तहत विभिन्न स्थानों के लिए कई अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, पर तकनीकी योग्यता मानदंड के लिए विचार किया जा सकता है, यदि पूर्व-निर्धारित चरणवार / स्थानवार समापन अवधि और लागत समझौते / कार्य आदेश में उल्लिखित हैं। निविदा आमंत्रण सूचना में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
3. उपरोक्त अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। यह तकनीकी अनुदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
4. निम्नलिखित पथ के तहत जारी किए गए सभी तकनीकी अनुदेश/परिपत्र भाविप्रा वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:
- www.aai.aero/en => कार्मिक लॉगिन => परिपत्र और आदेश => विभाग (अभियांत्रिकी) => परिपत्र प्रकार (तकनीकी अनुदेश) => खोजें


23.7.2023,
(डॉ. शरद कुमार)
सदस्य (प्रचालन- योजना)

वितरण: संलग्न सूची के अनुसार

नोट किसी भी विवाद/ स्पष्टीकरण के लिए अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

Distribution List

1. EA to Chairman, AAI, CHQ
2. Member (Finance), AAI, CHQ
3. Member (Ops.), AAI, CHQ
4. Member (Plg.), AAI, CHQ
5. Member (HR), AAI, CHQ
6. Member (ANS), AAI, CHQ
7. Chief Vigilance Officer, AAI, CHQ
- 8-12. Executive Director (Engg), AAI, Northern Region/ Western Region/ Eastern & North Eastern Region/Southern Region/ MIS & Standardization, CHQ
13. Executive Director (Land Management/ BD), AAI, CHQ
14. Executive Director (PMQA) AAI, CHQ,
- 15-19. Regional Executive Director, AAI, Northern Region/Western Region/ Eastern Region/ Southern Region/ North Eastern Region
- 20-21. Executive Director (CNS-Plg.)-I/II, AAI, CHQ
22. Executive Director (CNS-OM), AAI, CHQ
23. Executive Director (FIU & RCDU), AAI, CHQ
- 24-27. Executive Director (ATM)/ ATM-ASM/ ATM-AFTM/ ATM-CAP, AAI, CHQ
28. Executive Director (Plg.) AAI, CHQ
29. Executive Director (Ops.) AAI, CHQ
30. Executive Director (JVC)AAI, CHQ
31. Executive Director (Avn. Safety), AAI, CHQ
32. Executive Director(Arch.), AAI, CHQ
33. Executive Director(Admin), AAI, CHQ
- 34-35. Executive Director(Finance)- I/II, AAI CHQ
36. Executive Director(Commercial), AAI CHQ
37. Executive Director(IT), AAI, CHQ
38. Director(Security), AAI, CHQ
39. Executive Director(Tech.), AAI, CHQ
40. Executive Director(SIU), AAI, CHQ
41. Executive Director(RCS), AAI, CHQ
42. Principal (C.A.T.C), Allahabad
43. Director (I.A.A), AAI, Rangpuri
- 44-46. Airport Director, AAI, Kolkata/Chennai/Trivandrum Airports
47. GM (Vigilance) AAI, CHQ
48. GM (Law) AAI, CHQ
49. GM (C&C) AAI, CHQ
50. GM (BDC), AAI, CHQ
- 51-52. GM Engg (project) AAI, Kolkata Project/ Chennai Project
- 53-60. GM Engg (Civil/Electrical), AAI, Northern Region/Western Region/ Southern Region/ Eastern &North Eastern Region, CHQ
- 61-72. GM Engg (Project)/project in-charge, AAI, Port Blair/ Patna/ Hollongi/ Leh/ Dehradun/ Vijayawada/ Trichy/ Rajahmundry/ Guwahati/Rajkot/ Pune/ Jabalpur Airport.
- 73-76. GM: PMQA / Planning / RCS / Airport System, CHQ
- 77-81. GM Engg, AAI, Northern Region/Western Region/ Eastern Region/ Southern Region/ North Eastern, RHQ.
82. GM (IT), Safdarjung Airport
- 83-92. MIS (Civil) & MIS (Electrical)-NR/SR/WR/ER/NER, AAI, CHQ

वितरण सूची

1. अध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
2. सदस्य (वित्त), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
3. सदस्य (प्रचालन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
4. सदस्य (योजना), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
5. सदस्य (मानव संसाधन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
6. सदस्य (ए एन एस), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 8-12 कार्यपालक निदेशक (अभि.) भा.वि.प्रा., उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र / पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / एम आई एस एवं मानकीकरण निगमित मुख्यालय
- 13 कार्यपालक निदेशक (भूमि प्रबंधन/बी डी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 14 कार्यपालक निदेशक (परियोजना अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 15-19 क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
- 20-21 कार्यपालक निदेशक, (संचार दिक्चालन व निगरानी) -(योजना)-I/II, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 22 कार्यपालक निदेशक, (संचार दिक्चालन व निगरानी) -(ओ.एम.), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 23 कार्यपालक निदेशक, (आर सी डी यू & एफ आइ यू), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 24-27 कार्यपालक निदेशक, (ए.टी.एम.)/एटीएम-एएसएम/एटीएम-एफटीएम/एटीएम-केप, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 28 कार्यपालक निदेशक (योजना), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 29 कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 30 कार्यपालक निदेशक (जेवीसी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 31 कार्यपालक निदेशक (एवि. सेफटी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 32 कार्यपालक निदेशक (आर्क), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 33 कार्यपालक निदेशक (प्रशासनिक), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 34-35 कार्यपालक निदेशक (वित्त)- I / II, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 36 कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 37 कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 38 निदेशक (सुरक्षा), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 39 कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 40 कार्यपालक निदेशक (एसआईयू), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 41 कार्यपालक निदेशक (आरसीएस), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 42 प्रधानाचार्य (सी ए टी सी), इलाहबाद।
- 43 निदेशक, (आई.ए.ए), भा.वि.प्रा., रंगपुरी।
- 44-46 विमानपतन निदेशक, भा.वि.प्रा., कोलकाता/चेन्नई/त्रिवेन्द्रम विमानपतन।
- 47 महाप्रबंधक (सतर्कता), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 48 महाप्रबंधक (विधि), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 49 महाप्रबंधक (सी.एव.सी.), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 50 महाप्रबंधक (बिजनस विकास एकक), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 51-52 महाप्रबंधक (अभि. -प्रोजेक्ट), भा.वि.प्रा., कोलकाता प्रोजेक्ट / चेन्नई प्रोजेक्ट।
- 53-60 महाप्रबंधक (अभि) (सिविल/ विद्युत), भा.वि.प्रा.उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र/ दक्षणी क्षेत्र / पूर्वी एंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र, निगमित मुख्यालय।
- 61-72 महाप्रबंधक (अभि-प्रोजेक्ट)/प्रोजेक्ट इंचार्ज, भा.वि.प्रा., पोर्ट ब्लेयर / पटना / होलौंगी / लेह / देहरादून / विजयवाड़ा / त्रिची / राजमुंदरी / गुवाहाटी / राजकोट / पुणे / जबलपुर हवाई अड्डा।
- 73-76 महाप्रबंधक (परियोजना अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन)/ योजना/आर सी एस / एयरपोर्ट सिस्टम, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय
- 77-81 महाप्रबंधक अभि, भा.वि.प्रा., उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्षेत्रीय मुख्यालय।
- 82 महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), सफदरजंग हवाई अड्डा।
- 83-92 एम आई एस (सिविल) एवं एम आई एस (विद्युत)- उत्तरी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।